भारतीय संविधान

→ भारतीय संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग करने वाला पहला व्यक्ति M.N. रॉय ने की।

→ **कैबिनेट मिशन** (1946)

16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की

- भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ।
- यह एक तीन सदस्यीय आयोग था -
  (i) पैथिक लॉरेंस [अध्यक्ष]
  (ii) A.V. एलेक्जेंडर
  (iii) स्टैफॉर्ड क्रिप्स

→ 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया।
तथा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ।

→ जुलाई- अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए तथा संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी.

389
- ब्रिटिश प्रांत → 292 सदस्य
- चीफ कमिश्नरी → 4 सदस्य
- मनोनीत → देशी रियासतों से 93

→ संविधान सभा में सीटों का विभाजन

- सामान्य - 213 सीटें
- मुसलमान -79 सीटें
- सिख - 4 सीटें

= 296 सीटें

→ चुनावों का परिणाम - • कांग्रेस - 208 सीटें
• मुस्लिम लीग - 73 सीटें

Note ① हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, जिसने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, अत: संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने वाली सबसे बड़ी रियासत मैसूर थी।

② महात्मा गाँधी, तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण, मु. अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

③ संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी तथा एनी मेस्किरनी देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य थी। [ट्रावनकोर-कोचि

संविधान निर्माण में राजस्थान के सदस्य :-

→ 12 सदस्य

① V.T. कृष्णामचारी (जयपुर)
② हीरालाल शास्त्री (जयपुर)
③ जयनारायण व्यास [जोधपुर]
④ माणिक्यलाल वर्मा [उदयपुर]
⑤ बलवंत राय मेहता [उदयपुर]
⑥ राजबहादुर [भरतपुर]
⑦ रामचंद्र उपाध्याय [अलवर]
⑧ सरदार सिंह [खेतड़ी]
⑨ जसवंत सिंह [बीकानेर]
⑩ दलैल सिंह [कोटा]
⑪ गोकुल लाल असावा [शाहपुरा]
⑫ मुकुट बिहारी लाल भार्गव [अजमेर - मेरवाड़ा]
(एकमात्र निर्वाचित सदस्य)

→ विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या
299

299
- ब्रिटिश प्रांत → 226
- चीफ कमिश्नरी → 3
- मनोनीत → 70

⇒ **संविधान सभा की बैठके** -

→ पहली बैठक - 9 Dec 1946 → 211 प्रतिनिधि शामिल
10 महिलाएँ

→ अस्थाई अध्यक्ष - डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

→ 11 Dec 1946 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया।

→ संविधान सभा के उपाध्यक्ष - H.C. मुखर्जी
- V.T. कृष्णामचारी

→ 13 Dec 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा

→ 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

समितियाँ -

- संघ शक्ति समिति - पं. नेहरू
- संघीय संविधान समिति - प. नेहरू
- कार्य संचालन समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- नियम समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

- प्रांतीय संविधान समिति - सरदार वल्लभ भाई पटेल
- अल्प संख्यकों संबंधी परामर्श समिति - सरदार - पटेल
- अल्प संख्यकों संबंधी परामर्श उपसमिति - H.C. मुखर्जी
- मूल अधिकारों संबंधी परामर्श समिति - सरदार पटेल
- मूल अधिकारों संबंधी परामर्श उपसमिति - J.B. कृपलानी
- **प्रारूप समिति** → 7 सदस्यीय समिति

① B.R. अंबेडकर [अध्यक्ष]
② K.M. मुंशी
③ अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर
④ गोपाल कृष्ण आयंगर
⑤ मोहम्मद सादुल्ला
⑥ B.L. मित्तल —त्यागपत्र→ N. माधव राव
⑦ D.P. खेतान —मृत्यु→ T.T. कृष्णामचारी

संविधान के स्रोत -

① **ब्रिटिश संविधान**

- द्विसदनीय विधानमंडल
- मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी
- CAG
- रिट
- एकल

② **अमेरिकी संविधान** -

- न्यायिक **पुनरावलोकन**
- जनहित याचिका
- उपराष्ट्रपति का पद
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- मूल अधिकार
- प्रस्तावना की पहली पंक्ति
- राष्ट्रपति पर महाभियोग

③ **जापान**

- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

Note
- विधियों का समान संरक्षण - ब्रिटेन
- विधि के समक्ष समता - अमेरिका

④ **आयरलैण्ड** -
- नीति निर्देशक तत्व
- राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन
- राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया

⑤ **ऑस्ट्रेलिया**

- प्रस्तावना की भाषा
- समवर्ती सूची

⑥ **फ्रांस**

- गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता

⑦ रूस - मूल कर्तव्य

⑧ जर्मनी - आपातकालीन उपबंध

⑨ दक्षिण अफ्रीका - संविधान संशोधन की प्रक्रिया

भारतीय संविधान की विशेषताएँ -

- "हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है" = हरिविष्णु कामथ

- "मैं अनुभव करता हूँ की भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य तथा लचीला है, की यह युद्धकाल व शांतिकाल में देश की एकता बनाए रखने में सक्षम है" = B.R. अम्बेडकर

① विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान

संविधान में
- भाग - 22
- अनुसूची - 8 (वर्तमान - 12)
- अनुच्छेद - 395

② कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण

③ मूल अधिकार

④ नीति निर्देशक तत्व

⑤ मूल कर्तव्य

⑥ स्वतंत्र न्यायपालिका

⑦ इकहरी नागरिकता

⑧ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

⑨ संसदीय संप्रभुता व न्यायिक स्वतंत्रता में समन्वय

⑩ एकात्मक व संघात्मक लक्षणों का मिश्रण।

⇒ **एकात्मक लक्षण** -

① एकल नागरिकता

② अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पक्ष में रहती है।

③ एकीकृत न्यायपालिका

④ आपातकाल के समय केन्द्र प्रभावी

⑤ अखिल भारतीय सेवाएँ

⇒ **संघात्मक लक्षण** -

① शक्तियों का बँटवारा

② स्वतंत्र न्यायपालिका

③ कठोर संविधान

④ राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व

प्रस्तावना

1. संविधान का स्रोत - भारत की जनता

"हम भारत के लोग"

2.
- संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
- समाजवादी
- पंथ निरपेक्ष
- लोकतांत्रिक
- गणराज्य

③ **विवरणात्मक भाग** -

(i) न्याय → आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक

(ii) स्वतंत्रता → विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म

(iii) समता → प्रतिष्ठा व अवसर

(iv) देश की अखंडता व बंधुता बढाने वाली भावना

④ लागू होने की तिथि → 26 Nov. 1949

→ **प्रस्तावना में संशोधन** -

- 42 वे सँविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोडे गए- समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता

Note - प्रस्तावना संविधान की आत्मा है – M.V. पायली
ठाकुरदास भार्गव

- प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है - N. पालकीवाला
- प्रस्तावना संविधान की जन्मकुंडली है - K.M. मुंशी
- प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है- अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर

अनुसूचियाँ :-

[1] भारत के राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम व क्षेत्र-

[2] पदाधिकारियों की परिलब्धियों का उल्लेख

[3] विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख

[4] राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन

[5] अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में उपबंध।

[6] असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम (ATM²) के प्रशासन संबंधी उपबंध

[7] शक्तियों का विभाजन –

		वर्तमान
संघ सूची	97 विषय	100
राज्य सूची	66 विषय	61
समवर्ती सूची	47 विषय	52

[8] 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई [वर्तमान में 22]

- 15 वीं भाषा :- सिंधी - 21 वां संविधान संशोधन 1967

- कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली → 71 वां संविधान संशोधन 1992

- बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली → 92 वां संविधान संशो. 2003

[9] भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून शामिल किये गये जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया

Note. केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय दिया की 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती हैं।

[10] <u>दल बदल निरोधक कानून</u> - 52 वां संवि: संशो: 1985

→ यदि किसी दल के $\frac{1}{3}$ से कम सदस्य दूसरे दल में जाने पर सदस्यता निरस्त कर दी जाती है।

Note- 91 वे संवि: संशो: 2003 द्वारा इस प्रावधान को ओर अधिक कठोर बनाते हुए यह प्रावधान किया गया की यदि $\frac{2}{3}$ से कम सदस्य एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते है, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

→ इस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया की मंत्रिपरिषद का कुल आकार प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित लोकसभा व विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नही होगा

[11] 73 वें संवि. संशो: अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए।

→ संविधान में <u>भाग 9</u> जोड़ा गया व <u>16 अनुच्छेद</u>

12 वीं अनुसूची -

→ 74 वां संवि. संशो. 1992 -

नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा 18 विषय दिए गए।

→ संविधान में भाग 9-A जोड़ा गया तथा 18 अनु. जोड़े गए।

→ अनु. 243(P) - 243(ZG)

संविधान के भाग -

भाग - 1 → संघ व उसका राज्य क्षेत्र

भाग - 2 → नागरिकता

भाग - 3 → मौलिक अधिकार (अनु. 12-35)

→ भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में 7 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए।

① समानता का अधिकार (अनु. 14-18)

② स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19-22)

③ शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनु. 23-24)

④ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार [अनु. 25-28]

⑤ संस्कृति व शिक्षा का अधिकार [अनु. 29-30]

⑥ सम्पत्ति का अधिकार (अनु. 31)

⑦ संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

Note - 44 वें संविधान संशो. 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे अनु. 300 (A) में कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

⇒ **समानता का अधिकार** -

- **अनु. 14** - विधि के समक्ष समता

- **अनु. 15** - सार्वजनिक स्थल पर धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जा सकता।

- **अनु. 16** - लोक नियोजन में अवसर की समता

- **अनु. 17** - अस्पृश्यता की समाप्ति

- **अनु. 18** - उपाधियों का अंत

⇒ **स्वतंत्रता का अधिकार** -

अनु. 19 ① (क) - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(ख) - हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता

(ग) - संगम / सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता

(घ) भारत में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता

(ङ) भारत में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता

(छ) वृत्ति, आजीविका / व्यापार करने की स्वतंत्रता

अनु. 20 - **दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण**

(i) भूत लक्षी दांडिक विधान
(ii) दोहरे दंड से संरक्षण
(iii) स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नही किया जा सकता।

अनु. 21 - **प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार**

अनु. 22 - **गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण**

(i) गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक
(ii) गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
(iii) वकील से परामर्श का अधिकार

अनु. 23 - मानवीय दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध

अनु. 24 - 14 वर्ष से कम आयु के बालक को खतरनाक उद्योगो में नियोजन नही किया जा सकता।

अनु. 25 - किसी भी धर्म का अपनाने, अंत:करण की स्वतंत्रता धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनु. 26 - धार्मिक संस्था का प्रशासन करने की स्वतंत्रता

अनु. 27 - किसी धर्म विशेष की अभिवृति के लिए करों से छूट

अनु. 28 - सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व उपासना में शामिल होने से छूट।

अनु. 29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- लिपि, शिक्षा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार

अनु. 30 - अल्प संख्यकों को शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने व उनके प्रशासन का अधिकार

अनु. 32 - संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- SC द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है।

① बंदी प्रत्यक्षीकरण
② परमादेश
③ प्रतिषेध
④ उत्प्रेरण
⑤ अधिकार पृच्छा

भाग - 4 (अनु. 36-51)
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व

अनु. 39 - स्त्री व पुरुषों के लिए कार्य के लिए समान अवसर व समान कार्य के लिए समान वेतन

अनु. 40 - राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगा।

अनु. 44 - समान नागरिक संहिता

अनु. 45 - 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पोषण व स्वास्थ्य का देखभाल

अनु. 50 - कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण

→ भाग (4A) - मूल कर्त्तव्य [42 वां संवि. संशो 1976 द्वारा शामिल

अनु. 51(A) - सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्त्तव्य जोड़े गए, तथा वर्तमान में 11 मूल कर्त्तव्य है, 11 वां मूल कर्तव्य 86 वा सवि. संशो. 2002 द्वारा जोड़ा गया।

[A] (Anthem) राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि के प्रति सम्मान

[B] (Bhagat Singh) राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोय रखना।

[C] (Confiormity) देश की एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण रखे

[D] (Defence) देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

[E] (Equity) - भ्रातृत्व की भावना का विकास करे।

[F] (Fine Culture) हमारी सामासिक गौरवशाली परंपरा को समझें

[G] (Greenary) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें

[H] (Huminity) वैज्ञानिक चिंतन व मानववाद

I (indian property) - सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूर रहे

J [Joint Action]. व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयास करे व उत्कृष्टता की ओर बढ़े।

भारतीय संविधान

↓

संघ सरकार (अनु. 52-151)

- कार्यपालिका → अनु. 52-78
- व्यवस्थापिका → अनु. 79-122
- राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति → अनु. 123
- न्यायपालिका → अनु. 124-147
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक → अनु. 148-15

राष्ट्रपति

↓

अनु. 52-62

अनु. 52- भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

अनु. 53- संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वंय अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा।

(Note)- अनु. 74 के तहत् राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।

अनु. 54- राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल

→ दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य + सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य + दिल्ली व पुदुच्चेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

अनु. 55 - निर्वाचन प्रणाली -

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली

* न्यूनतम कोटा - $\frac{\text{कुल वैध मत}}{\text{पद की संख्या} + 1} + 1$ या $\frac{\text{कुल वैध मत}}{2}$

विधायक का मत मूल्य = $\frac{\text{राज्य की जनसंख्या (आधार - 1971)}}{\text{राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य}}$ ÷

- राज० के एक विधायक का मत मूल्य - 129
- उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य = 208 (सर्वाधिक)
- सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य = 07 (न्यूनतम)

एक सांसद का मत मूल्य - $\frac{\text{समस्त विधायकों के मतों का योग}}{\text{निर्वाचित सांसद (776)}}$

* एक सांसद का मत मूल्य = 708

अनु. 56 - कार्यकाल

- राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहता है।
- इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित

त्यागपत्र से अपना पद छोड़ सकता है।

→ राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नये राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है।

अनु.-57- पुनर्निर्वाचन की पात्रता

अनु. 58- योग्यताएँ / अर्हताएँ

① भारत का नागरिक हो।

② 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

③ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

अनु.60- शपथ

- राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है।

- राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नही दिया गया है, बल्कि यह प्रारूप अनु: 60 में ही उल्लेखित है।

अनु. 61- महाभियोग प्रक्रिया

- संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है।

- राष्ट्रपति पर महाभियोग का ऐसा प्रस्ताव केवल संवैधानिक कदाचार (संविधान का अतिक्रमण / कदाचार) के आधार पर लाया जा सकता है।

- ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के समर्थन से किसी

भी सदन में पेश किया जा सकता है।

- यदि पहला सदन इस प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3(सदस्यों) बहुमत से पारित कर दे तो यह दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जाँच करता है।

- राष्ट्रपति को इस समय अधिकार है कि वह स्वंय उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधित्व को भेजकर अपना पक्ष रख सकता है।

- जाँच में दोषी पाये जाने की दशा में यदि दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे, तो राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाता है।

- महाभियोग की यह प्रक्रिया अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है।

कार्यपालिका शक्तियाँ :-

① प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति - अनु· 75 (1)

⇒ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा।

② महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति :-

① महान्यायवादी - अनु· 76

② नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) - अनु· 148

③ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति - अनु· 124

④ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति - अनु· 217

⑤ राज्यपाल की नियुक्ति - अनु· 155

- UPSC के अध्यक्ष व सदस्य - अनु. 316
- मुख्य तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त - अनु. 324
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति (ST) आयोग के अध्यक्ष व सदस्य - अनु. 338(5)

विधायी शक्तियाँ :-

① सत्राहूत व सत्रावसान करना।
② आरंभिक अभिभाषण देना।
③ लोकसभा को भंग करना।
④ संयुक्त बैठक बुलाना।
⑤ संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति।

वीटो शक्ति (निषेधाधिकार) :- अनु. 111

Ⓐ आत्यांतिक / निप / पूर्ण वीटो -

- राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अस्वीकृत करना, आत्यांतिक वीटो कहलाता है।
- 1954 में PESSU विनियोग विधेयक पर राजेन्द्र प्रसाद ने इस वीटो का प्रयोग किया था।

Ⓑ निलम्बनकारी वीटो :- राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना निलम्बनकारी वीटो कहलाता है। पुनर्विचार के लिए लौटाये गये इस विधेयक को यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने हेतु बाध्य है।

पॉकेट वीटो। जेबी वीटो :-

- संविधान में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए समय सीमा का कोई प्रावधान नही किया गया है। अत: संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को यदि राष्ट्रपति न स्वीकृत करे और ना ही अस्वीकृत करें अर्थात् कोई प्रक्रिया ना करे तो यह पॉकेट वीटो कहलाता है।

* 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था।

न्यायिक शक्तियाँ :-

⇒ सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना - अनु. 143

- राष्ट्रपति किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह मांगे जाने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय उसे सलाह देने के लिए बाध्य नही है और ना ही राष्ट्रपति ऐसी दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है।
- संविधान लागू होने के पूर्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य है लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी सलाह को मानने के लिए बाध्य नही है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक कुल 15 मामलों में राष्ट्रपति को सलाह दी है।

② क्षमादान (अनु. 72) :-

- राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जिसके तहत वह न्यायालय द्वारा सजा सुनाये गये व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है।

- क्षमादान की यह शक्ति निम्न 5 प्रकार की है-

① पूर्ण क्षमादान :- इस क्षमादान द्वारा अपराधी को प्राप्त सजा तथा उस पर साबित आरोप दोनों ही पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं।

② लघुकरण - सजा की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सजा कम करना। जैसे- मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में बदलना।

③ परिहार - सजा की प्रकृति में परिवर्तन किये बिना सजा कम करना। जैसे- 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।

④ विराम - अपराधी की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा कम करना। जैसे- गर्भवती महिला की सजा स्थगित अथवा कम करना।

⑤ प्रविलम्बन - सजा के निष्पादन पर अस्थायी रूप से रोक लगाना।

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ

⇒ राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद में बजट पेश करवाता है। (अनु. 112)

- धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किये जा सकते है।
- देश की आकस्मिक निधि (अनु. 267) राष्ट्रपति के अधीन होती है।
- केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की सिफारिश हेतु राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष से एक वित्त आयोग का गठन करता है। (अनु. 280)

अध्यादेश जारी करना :- अनु. 123

- जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब कानून की अति आवश्यकता होने की स्थिति में संघ सूची अथवा समवर्ती सूची के किसी विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये इस अध्यादेश को वही बल प्राप्त होता है जो संसद द्वारा पारित किसी कानून को प्राप्त होता है।
- अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- ऐसा अध्यादेश नये सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है।
- संसद इस अवधि से पूर्व भी इसे समाप्त कर सकती है।

→ कोई अध्यादेश अधिकतम 06 माह व 06 सप्ताह की अवधि तक जारी रह सकता है।

⇒ राष्ट्रपति ऐसे अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है।